कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, फैजाबाद।

पत्रांकःआई.–7 / एफ.एस.(पेट्रोल पम्प) अम्बेडकरनगर / 2016 दिनांक– 25-06-2016

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अम्बेडकरनगर।

विषय– ट्रेटरी मैनेजर (रिटेल) गोरखपुर के पत्र संख्या–एन0आर0ओ0 / अकबरपुर सिटी / दिनांक–13.06.2016 द्वारा गाटा संख्या–184मि0/160,185,187मि0 भूमि ग्राम गदायां परगना व तहसील अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर पर नये पेट्रोल पम्प की स्थापना किये जाने हेतु अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में तथा आपके पत्रांकः553 / ई.आर.के. / पेट्रोल पम्प–स्थापना / अनापत्ति / 2016 दिनांक 04 जून, 2016 के क्रम में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, अम्बेडकरनगर द्वारा स्थल का अग्नि सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया तो निम्नवत् पाया गया–

1– उपरोक्त प्रस्तावित स्थल बसखारी अकबरपुर रोड पर अकबरपुर से 3 कि0मी0 व बसखारी से 23 किमी0 की दूरी पर ग्राम गदायां परगना व तहसील अकबरपुर अम्बेडकरनगर में स्थित है।

2– रोड वाइडिनिंग को मिलाकर पहुँच मार्ग पर्याप्त है ।

3– प्रस्तावित स्थल के ऊपर से हाइटेंशन लाइन नहीं गयी है ।

4– बी0पी0सी0 की प्रस्तावित एरिया 611.04 वर्गमीटर है ।

प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था :–

1– ABC टाइप फायर एग्स्टिंग्यूशर 9 किग्रा. क्षमता के प्रत्येक फ्यूल मशीन पर दो–दो अदद व्यवस्थित किया जायेगा।

2– जनरेटर रूम पर 4.5 किग्रा. क्षमता का CO_2 फायर एग्स्टिंग्यूशर दो अदद व्यवस्थित किया जायेगा।

3– सैण्ड बकेट प्रति यूनिट दो–दो अदद व्यवस्थित किया जायेगा।

4– धूम्रपान निषेध तथा आपातकालीन टेलीफोन नम्बर पट्टिका व्यवस्थित की जायेगी तथा डीलर रूम में धूम्रपान निषेध बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जायेगा।

5– प्रत्येक लुब्रीकेन्ट स्टोर में 9 किग्रा. क्षमता का ABC टाइप–1 अदद तथा CO_2 टाइप 4.5 कि0ग्रा0 का एक अदद फायर एग्स्टिंग्यूशर लगाया जायेगा।

6– मानचित्र पर अंकित क्रम संख्या–1 से क्रम संख्या–23 तक बिन्दुओं को समायोजित करते हुए पालन किया जायेगा।

7– बाउण्ड्रीवाल का निर्माण अग्नि प्रतिरोधक मैटेरियल से कराया जायेगा, जिसकी ऊँचाई 6 फिट से कम नहीं होगी।

8– रिजर्व बालू टैंक की क्षमता 6×3×3 फिट का बनाया जायेगा।

अतः उपरोक्त प्रतिबन्धों के आधार पर प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, जिसकी वैधता 1 वर्ष होगी। प्रतिष्ठान संचालन के पूर्व अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

स्वामी / प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि अधिष्ठापित किये जाने वाले अग्निशमन उपकरणों की टेस्टिंग / रिफलिंग फीस राजकीय कोष में जमा कराकर क्रियाशील रखना, ढॉचगत / अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के साथ–साथ पेट्रोलियम रूल्स 2002 में उल्लिखित मानकों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

25.6.16
(महावीर प्रसाद)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
फैजाबाद।

प्रतिलिपि–अग्निशमन अधिकारी, अम्बेडकरनगर।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक अम्वेड़करनगर।
संख्या:जी0आर0115/2016 दिनांक:जुलाई 5 ,2016
सेवा में,

जिलाधिकारी,
अम्वेडकरनगर।

कृपया अपने पत्र संख्या--555/ई0आर0के0/पेट्रोल पम्प--स्थापना /अनापत्ति /2016 दिनांक 25--6--2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे,जिसके द्वारा गाटा संख्या--184 मि0 व 185 स्थित भूमि ग्राम गदाया,परगना व तहसील अकबरपुर जनपद अम्वेड़करनगर पर नया पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु जांच कराकर जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच थानाध्यक्ष कोतवाली अकबरपुर से करायी गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि श्री राकेश पाण्डेय पुत्र श्री जगमोहन पाण्डेय निवासी मोहसिनपुर मंसूरपुर थाना अकबरपुर जनपद अम्वेड़करनगर के मूल निवासी है। पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु स्थलीय जांच से दर्शायी गयी चौहद्दी सही पायी गयी है।

अतः थानाध्यक्ष अकबरपुर/क्षेधिकारी नगर/अपर पुलिस अधीक्षक की टिप्पणी के आधार पर श्री राकेश कुमार पाण्डेय को पेट्रोल पम्प खोले जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

ADM E/RC

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।
(नक्शा नजरी मूलरूप में वापस)

पुलिस अधीक्षक,
अम्वेडकरनगर।